बिहार विधान परिषद

(193 बिहार विधान परिषद् का शीतकालीन सत्र)

27 नवम्बर 2019

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

27

फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव

*46 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम में फॉगिंग को लेकर प्रस्तावित सेन्ट्रल फॉगिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जमीनी स्तर पर उतर नहीं सका है, जिससे फॉगिंग की मॉनिटरिंग के लिए न तो कर्मचारी और न ही कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जा सके हैं;

(ख) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के सभी फॉगिंग गाडि़यों में जी.पी.एस. तो लगाये गये हैं लेकिन फॉगिंग के लिए कर्मियों को मुख्यालय से जरूरी रसायन नहीं मिल पा रहा है, जिससे पटना नगर निगम के जल – जमाव प्रभावित वार्डों में हो रहे फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव से लोग संतुष्ट नहीं है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थिति के जनहित में निगम के सभी वार्डों में प्रतिदिन मॉनिटरिंग के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने तथा युद्ध स्तर पर फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

कार्यालय की स्थापना

*47 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

राजस्व एवं भूमि सुधार

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि सरकार सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में भूस्वामियों के हित में डिजिटल भू-नक्शा उपलब्ध कराने हेतु अत्याधुनिक कार्यालय की स्थापना करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

निष्क्रिय 'वेजकोमान'

*48 **श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

सहकारिता :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सभी जिलों में ताजी सब्जी की सरकारी दुकान आउटलेट खोलने का निर्णय लिया था जिसमें सिर्फ राजधानी पटना में 150 आउटलेट खुलना था;

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त मद में अभी तक 200 करोड़ की व्यवस्था की गई थी तथा 10 माह गुजर जाने के बाद भी एक भी आउटलेट नहीं खुला और ना ही ऐसे आउटलेट खोलने के लिए जगह की व्यवस्था अभी तक की जा सकी है;

(ग) क्या यह सही है कि सब्जी उत्पादन और विपणन के लिए सरकार ने 'वेजकोमान' बनाया जो तरकारी ब्रांड के नाम से सब्जी की बिक्री करेगा, वह अभी तक निष्क्रिय है ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार यह बतायेगी कि ऐसी आकर्षक योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या क्यों है तथा क्या निकट भविष्य में सरकार इस संबंध में ठोस और कारगर कदम उठायेगी ?

मुआवजा भुगतान

*49 **श्री सलमान रागीब (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड + थाना- मकेर, ग्राम +पो.- भाथा के शमशाद अली, पिता- असलम मियां की दिनांक - 16.05.2019 को गंडक नदी में डूबने से मृत्यु हो गई, जिससे संबंधित समाचार 17 मई 2019 को दैनिक भास्कर स्थानीय दैनिक में भी प्रकाशित हुआ था;

(ख) क्या यह सही है कि शमशाद अली के पिता असलम मियां के सरकार द्वारा घोषित मुआवजा के लिए सभी कागजात के साथ लगभग 6 महीने से कार्यालय का चक्कर लगाने के बावजूद भी अब तक सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही मुआवजे की राशि प्रदान की गयी है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृतक के पिता असलम मियां को सरकार द्वारा घोषित 4 लाख रुपये की मुआवजा राशि यथाशीघ्र देने के साथ ही विलंब करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई

*50 **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार दाखिल खारिज (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम- 3 में निहित प्रावधानों के आलोक में गोपालगंज जिला के 14 अंचलों में 32 हजार 499 आवेदनों में से अक्टूबर, 2019 में महज 12 हजार 286 लोगों का ऑनलाईन दाखिल खारिज हो पाया है;

(ख) क्या यह सही है कि अधिकारियों/राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है जिसके कारण रैयतों को पंचायत से लेकर प्रखंड तक चक्कर लगाना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार यह बतायेगी कि ऐसी आकर्षक योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या क्यों है तथा क्या निकट भविष्य में सरकार इस संबंध में ठोस और कारगर कदम उठायेगी ?

लगान निर्धारण नहीं

*51 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि लोहियानगर पटना स्थित आवास बोर्ड के भू-खंड भी -496 जो

श्री इन्द्र कान्त मिश्र 'इन्दू' के नाम से आवंटित है, के लगान निर्धारण करने हेतु अंचलाधिकारी, पटना सदर ने अपने पत्रांक – 498, दिनांक – 29.01.19 के द्वारा उप समाहर्ता, भूमि सुधार विभाग, पटना को भेजा है;

(ख) क्या यह सही है कि उप समाहर्ता, भूमि सुधार विभाग, पटना द्वारा अपने पत्रांक – 01 भू. दिनांक - 02.02.19 के द्वारा स्थल जांच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अंचलाधिकारी, पटना सदर को आदेश दिया गया;

(ग) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, पटना सदर ने अपने पत्रांक – 2807, दिनांक – 16.07.19 के द्वारा स्थल जांच प्रतिवेदन संलग्न कर पुनः लगान निर्धारण करने हेतु उप समाहर्ता, भूमि सुधार विभाग, पटना को भेजा है जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है जिसके चलते सरकारी राजस्व की हानि हो रही है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लगान निर्धारण नहीं होने का क्या कारण है ?

वातानुकूलित सभागार

***52 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला का मुख्यालय आरा में स्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय में कोई भी बहू उद्येशीय वातानुकूलित सभागार नहीं होने के चलते सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में कठिनाई होती है;

(ग) क्या यह सही है कि मौलाबाग, आरा में पहले से निर्मित सूचना भवन के बगल में सरकारी जमीन उपलब्ध है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मौलाबाग आरा में स्थित खाली जमीन पर बहू उद्येशीय वातानुकूलित सभागार बनाने का विचार रखती है, अगर हां तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

बाढ़ पीडि◌ित परिवारों को सहायता कब तक

***53 श्री दिलीप राय (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर प्रखंड में बाढ़ प्रभावित ग्यारह हजार परिवार के लोगों को अभी तक बाढ़ सहायता की राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि उक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उ२५क्त बाढ़ पीडि़त परिवारों को कब तक सहायता राशि प्रदान कराना चाहती है,यदि हां तो कब तक ?

नाला को अतिक्रमण से मुक्ति कब तक

*54 **डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि छपरा जिलान्तर्गत छपरा नगर निगम से संबंधित नाला के माध्यम से पानी का निकास होता है;

(ख) क्या यह सही है कि छपरा नगर निगम के खनुआ नाला का अतिक्रमण स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जा चुका है;

(ग)यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं , तो क्या सरकार ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमित नाला को यथाशीघ्र मुक्त करवाना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

*55 **श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड के अंचलाधिकारी उच्चाधिकारियों के आदेश को नहीं मानते हैं तथा मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत अनुमंडल दंडाधिकारी, महुआ के ज्ञापांक – 1165 दिनांक- 06.06.2019 के द्वारा श्री दिनेश राय, ग्राम- बड़ेबा, थाना-अंचल –गोरौल की जमीन, थाना नं0- 33, खाता सं0- 527, खेसरा सं0- 2405 को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराने हेतु आदेश निर्गत किया गया जिसका अनुपालन आज तक नहीं किया गया है ;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैशाली जिले की उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए सरकारी नियमों के विपरीत कार्य करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश को नहीं मानने वाले गोरौल अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमणकारियों पर F.I.R.

***56 श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत मौजा – हथियॉवा, रकवा नं0- 191, थाना नं0- 158, खेसरा नं0- 348, रकवा – 1.52 एकड़ गैरमजरूआ आम किस्म जमीन पोखर है जो अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित कर ली गई है तथा उक्त गैरमजरूआ जमीन पर कई मकानों का निर्माण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, शेखपुरा के अतिक्रमण वाद सं0- 1/2001-02 में पारित आदेश में अतिक्रमणकारियों द्वारा जमींदारी रसीद तथा जमींदार द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न की प्रमाणित प्रति भी अतिक्रमणकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि 27 डी0 गैरमजरूआ तालाब की सरकारी जमीन जो श्री सरयुग सिंह के कब्जे में है जिस पर भवन निर्माण करा लिया गया है वह पूर्णतः संदिग्ध है क्योंकि इस आशय की जमींदारी रिटर्न जमींदार द्वारा अंचल कार्यालय में दाखिल नहीं किया गया है, न ही अतिक्रमणकारीयों द्वारा जमींदारी रिटर्न दिखा पाने की स्थिति में हैं;

(घ) क्या यह सही है कि खंड 'क' में अंकित जमीन यदि जमींदार द्वारा बंदोबस्त की गई होती तो अब तक इसकी जमाबंदी भी कायम कर ली गई होती;

(ड़) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड ' क' में अंकित गैरमजरूआ सरकारी तालाब की जमीन जिस पर अतिक्रमणकारियों द्वारा भवन

निर्माण कर लिया गया है, उसे अविलम्ब अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए अतिक्रमणकारियों पर F.I.R. दर्ज करना चाहती है ?

नाला ढ़क कर सड़क निर्माण कब तक

***57 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर में आशियाना नगर –दीघा रोड से नेपाली नगर, राजीव नगर होते हुए कुर्जी तक बड़ा नाला बहता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नाला पर आशियाना नगर से नेपाली नगर तक पक्का नाला निर्माण करते हुए उस पर सड़क निर्माण कई वर्ष पहले हो चुका है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त नाला में आगे का नेपाली नगर से राजीव नगर होते हुए कुर्जी तक का नाला खुला है जिससे उक्त नाला पर अतिक्रमण के साथ- साथ उस क्षेत्र में मरी हुई गाय, भैंस एवं अन्य जानवर तथा दूषित पदार्थ फेंक दिया जाता है, जिससे नाला जाम के साथ काफी दूषित बदबू देता रहता है , इस नाला के दोनों साईड काफी आबादी बसी हुई है और वह आर ब्लॉक से दीघा तक छः लाईन सड़क को जोड़ता है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नाला को ढक कर पक्कीकरण सड़क निर्माण करवाना चाहती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पी.सी.सी. सड़क निर्माण कब तक

***58 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना में वार्ड सं0- 1 एवं 6 स्थित राजीव नगर, रोड नं0- 15 से नाला निकल कर रोड नं0- 8 डी (डी.एम. खटाल के पास) होते हुए रोड नं0- 8 के पास मेन नाला में मिलता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नाला के सर्वे में पूर्व से 25 से 35 फीट तक चौड़ाई हैजिसके अतिक्रमित होने के कारण इस बरसात में इस इलाका में 15 दिनों तक पानी की

निकासी नहीं हो पायी थी;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नाला को अतिक्रमण से मुक्त कर नाला का पक्कीकरण करते हुए पी.सी.सी. सड़क निर्माण कराना चाहती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

मालगुजारी रसीद हैण्डबुक से काटने की अनुमति कब तक

*59 **श्री राजेश राम (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा राज्य में जमीन का मालगुजारी रसीद कम्प्यूटर से काटने हेतु अनिवार्य बना दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा कम्प्यूटर के रजिस्टर 2 में जो जमीन का विवरण एवं जमाबन्दीदार नाम का डाटा डाला गया है उसमें बहुत गलत डाटा डाला गया है, जिसके कारण जमाबंदीदारों को कम्प्यूटर से रसीद कटाने में बहुत कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि कम्प्यूटर से काटे गए मालगुजारी रसीद की मान्यता व्यवहार न्यायालयों में नहीं दी जा रही है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कम्प्यूटर के रजिस्टर-2 में गलत डाले गए डाटा का सुधार कराते हुए मालगुजारी रसीद हैंड बुक से काटने की अनुमति देना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

जमीन मापी कर वापस करने की कार्रवाई

*60 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर अंतर्गत सगुना मोड़ पर स्व0 आमना खातून के नाम से प्लॉट सं0- 783 एवं 776, खाता संख्या- 317 में से एक एकड़ 13 डी0 जमीन संत कैरेन्स स्कूल, खगौल रोड को स्व0 आमना खातून द्वारा बेची गयी थी;

(ख) क्या यह सही है कि संत कैरेन्स स्कूल के निदेशक एवं प्राचार्य द्वारा रजिस्ट्री की गई जमीन के अलावा स्व0 आमना खातून की बची हुई जमीन को कब्जा कर बाउण्ड्रीवाल करके घेर लिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त जमीन की मापी हेतु अंचलाधिकारी, दानापुर द्वारा छः बार संत कैरेन्स स्कूल के निदेशक एवं प्राचार्य को नोटिस जारी किया गया परन्तु अभी तक उक्त जमीन की मापी नहीं हो पायी है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन की कागज के अनुसार उचित मापी कराकर स्व0 आमना खातून की शेष बची जमीन को निकाल कर देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

समुचित व्यवस्था

*61 **श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले के सिमरिया गंगा तट पर प्रतिदिन हजारों लोग मुंडन, अंतिम संस्कार, विशेष तिथियों पर स्नान आदि के लिए पूरे बिहार और नेपाल से आते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त गंगा तट पर प्रतिवर्ष दर्जनों लोग स्नान के दौरान डूब कर मर जाते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त गंगा तट पर स्थायी राज्य आपदा मोचक बल, प्रशिक्षित गोताखोर, स्थायी मोटरवोट आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गंगा में डूबने की घटना में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिमरिया गंगा तट पर स्थायी राज्य आपदा मोचक बल, प्रशिक्षित गोताखोर एवं स्थायी मोटर वोट आदि की समुचित व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

ठोस कार्रवाई कब तक

*62 **श्री रामचन्द्र भारती (मनोनीत):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य में सभी रैयतों की विवरणी को डिजीटाईज करने के उद्येश्य से ऑनलाईन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि इस कार्य में लगे कम्प्यूटर ऑपरेटर्स एवं स्थानीय प्रखंड कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीनों की जमाबंदी एवं खाता खेसरा में मनमाने ढंग से बदलाव कर दिया जा रहा है जिससे भू-स्वामियों में हड़कंप है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस तरह की होने वाली गड़बडि़यों को रोकने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

राशन उपलब्ध नहीं

*63 **श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत नमा अटहरी ब्लॉक की जमाल नगर पंचायत की जनता, पैक्स डीलर श्री देवेश कुमार के यहां से राशन एवं किरोसीन का उठाव करती थी;

(ख) क्या यह सही है कि वर्णित डीलर के यहां से राशन एवं किरोसीन लेने में पंचायत की जनता को सुविधा होती थी, परन्तु जनता के हित के विरुद्ध ई.बी. नं.- 94 और 96 को काट कर दूर अवस्थित डीलरों को डीलरशिप दे देने के कारण जनता को काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनता के हित को ध्यान में रखते हुए पूर्व की भांति डीलर श्री देवेश कुमार के यहां से ही राशन व किरोसीन उपलब्ध कराना चाहती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नियमों का पालन नहीं

*64 **श्री सतीश कुमार (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मोतिहारी नगर परिषद् में जी प्लस फोर का पक्का निर्माण

कराने का बिल्डिंग बॉयलाज में नियम है;

(ख] क्या यह सही है कि मोतिहारी शहर में एम.एस. कॉलेज रेलवे स्टेशन के सामने चॉदमारी चौक, ज्ञानबाबू चौक एवं अन्य जगहों पर नगर परिषद् द्वारा नक्शा के विरुद्ध मॉल का निर्माण किया गया है ;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध निर्माण करने तथा बिहार नगर परिषद, नगर विकास एवं आवास विभाग के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदिछ हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

***65** **डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपाकरेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी,पटना के सेक्टर-4 में भूतनाथ रोड के पूरब बचपन स्कूल के सामने एक बड़ा भूखंड पार्क के लिए चिन्हित है;

(ख)क्या यह सही है कि उस चिन्हित भूमि के चारों तरफ टहलने के लिए ट्रैक बनाा हुआ था जो अब जहां-तहां टूट गया है और पार्क का निर्माण नहीं हो पाया है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कबतक इस पार्क किानिर्माण कराकर नागरिकों को सैर की सुविधा उपलब्ध करायेगी?

स्थानीय आरक्षण

***66** **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सरकार राज्य की नौकरियों में स्थानीय आरक्षण का लाभ प्रावधानित करना चाहती है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों –महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के पद के साथ- साथ न्यायिक सेवा के पद दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थी लिये जा रहे हैं;

(ग) यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में होने वाली सभी तरह की नियुक्तियों में स्थानीय आरक्षण लागू करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

कचरा प्रबंधन प्लांट

*67 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी शहर की सड़कों पर कचरे का ढेर लगे रहने से वाहनों के परिचालन समेत आम राहगीरों को यातायात में काफी परेशानी होती है;

(ख) क्या यह सही है कि दो वर्ष पूर्व सीतामढ़ी नगर परिषद् द्वारा लाखों रुपये खर्च कर 500 से अधिक डस्टबिन खरीद कर शहर के सड़कों के किनारे लगाया गया था, जिसका अब कोई अता- पता नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि शहर को स्वच्छ बनाने को लेकर शहर से सटे खड़का रोड में नगर परिषद् द्वारा चार एकड़ जमीन खरीदी गयी थी, जहां मॉडल कचरा प्रबंधन प्लांट लगाने की योजना थी, जिसे अभी तक चालू नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सड़कों पर डस्टबिन नहीं होने की जांच कराते हुए कचरा प्रबंधन प्लांट की योजना को चालू कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

सर्प दंश में सहायता राशि

*68 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि विशेषकर बाढ़ के दिनों में साँपों के काटने से राज्य में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि सर्प दंश से मृत्यु पर भी प्रभावित परिवारों के बीच सरकारी आर्थिक सहायता राशि का भुगतान करने की राज्य सरकार की वर्तमान अथवा भविष्य में कोई योजना है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य सरकार सर्प दंश से मृत्यु पर भी प्रभावित परिवारों के बीच सरकारी आर्थिक सहायता राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

अधिगृहीत भूमि का भुगतान कब तक

***69 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि हाजीपुर-सुगौली रेलमार्ग का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था ;

(ख) क्या यह सही है कि खंड (क) में वर्णित रेलमार्ग के लिए हाजीपुर/वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले की जमीन का अधिग्रहण हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है किन्तु पूर्वी चम्पारण की जमीन का अधिग्रहण होने के बावजूद किसानों को अब तक पैसा का भुगतान नहीं किये जाने के कारण काम रुका हुआ है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्वी चम्पारण के किसानों की अधिगृहीत जमीन का भुगतान किसानों को करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

***70 श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में औसत से कम बारिश होने के कारण 19 जिलों के विभिन्न प्रखंडों को सुखाड़ ग्रस्त घोषित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले के लगभग 13 प्रखंडों में औसत से कम बारिश हुई जिसके कारण किसानों के खरीफ फसल को भारी नुकसान हुआ परन्तु बेगूसराय के उन प्रखंडों को सुखाड़ ग्रस्त घोषित नहीं किया गया;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेगूसराय जिले के बेगूसराय उत्तरी प्रखंड वीरपुर, भगवानपुर, मंसूरचक, खोदावन्दपुर, चेरिया, बेरियापुर, छौड़ाही, गढ़पुरा, बखरी, नावकोठी, डंडारी आदि प्रखंडों को सुखाड़ ग्रस्त घोषित नहीं करने के कारणों का पता कर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

धर्मशाला का निर्माण

*71 **श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार):**

पर्यटन :-

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि लक्खीसराय जिला अन्तर्गत सूर्यगढ़ा प्रखंड के पोखरामा ग्राम में अवस्थित सूर्य मंदिर अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि चैत महीना एवं कार्तिक महीना के छठ पर्व के अवसर पर स्थानीय लोगों के अलावा इलाके के भी श्रद्धालु छठ पर्व में भाग लेते हैं जहां लोगों के ठहरने का कोई भी साधन नहीं है;

(ग) यदि उपर्यक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार सूर्य मंदिर के पास सामाजिक न्याय के तहत एक धर्मशाला का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में त्वरित गति से कराना चाहती है, जिससे कि चैत छठ पर्व में श्रद्धालु को ठहरने की व्यवस्था की जा सकें ।

पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई

*72 **श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिले में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन पत्र सं. – 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197 एवं 1198 दिनांक – 10.10.2019 द्वारा वि भन्न विभागों के लिए नियोजित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नियोजित कार्यपालक सहायक जब अपने – अपने विभाग में योगदान करने गये तो उन्हें योगदान नहीं करने दिया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मुजफ्फरपुर जिले के जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन पत्र सं.- 1192,1193,1194,1195,1196,1197 एवं 1198 दिनांक – 10.10.2019 द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायकों को शीघ्र योगदान कराते हुए उन्हें अकारण परेशान करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?